

चीनी कीमत पर 5% उपकर की तैयारी

गन्ना किसानों को राहत देने के लिए जीएसटी परिषद करेगा उपकर लगाने का फैसला, केंद्र सरकार ने रखा है प्रस्ताव

अमर उजाला व्यूरो

नई दिल्ली।

गन्ना किसानों को राहत मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार चीनी की कीमत पर 5 प्रतिशत उपकर लगाने की तैयारी में है। खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय ने यह प्रस्ताव रखा है, जिसपर 4 मई को जीएसटी परिषद की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

देश के विभिन्न राज्यों में चीनी की कीमत लगातार नीचे गिर रही है और चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का भारी बकाया हो गया है। चीनी उत्पादकों ने इस समस्या के मद्देनजर सरकार से गृहण लगवाई थी। हाल ही में मंत्रियों के समूह ने किसानों को राहत मुहैया कराने के लिए तीन फार्मूलों पर विचार भी किया था। इनमें एक चीनी पर



18,000
करोड़ रुपये पर पहुंचा
गन्ना बकाया

20,000
करोड़ रुपये तक पहुंच
सकता है बकाया इस साल

उपकर लगाकर गन्ना किसानों को राहत देना शामिल था।

तत्काल राहत के लिए उपकर बेहतर

मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, किसानों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए उपकर लगाने का ही रास्ता सबसे बेहतर है और 5 फीसदी उपकर लगाने की सिफारिश की गई है। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद कोई भी उपकर सोपे तौर पर नहीं लगाया जा सकता। इसलिए यह प्रस्ताव जीएसटी परिषद को भेज दिया गया है। अगामी 4 मई को होने वाली परिषद की बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा।

लगातार गिर रही चीनी की कीमतें

भौजदा समय में देश के विभिन्न राज्यों में चीनी की औसत कीमत 30 से 35 रुपये चाल रही है। अगर 5 प्रतिशत उपकर सरकार को ओर से लगाया जाता है, तो चीनी की कीमत प्रति किलो पाँचे दो रुपये तक बढ़ सकती है। थोक बाजार में चीनी की एक्स फैक्ट्री कीमत घटकर उत्पादन लागत को तुलना में करीब 8 रुपये प्रति किलो नीचे आ गई है। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में चीनी के एक्स फैक्ट्री भाव घटकर 2,800 से 2,950 और महाराष्ट्र में इसके भाव घटकर 2,700 से 2,800 रुपये प्रति किबंटल रह गए हैं। इसके चलते सरकार उपकर को ही तत्काल राहत का कदम मान रही है। वर्ष 2015-16 में भी केंद्र ने प्रति किबंटल 4.50 रुपये सीधे गन्ना किसानों के खाते में जमा किए थे, जिससे उद्योग को बड़ी राहत मिली थी। मूल्य का यह अंतर गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) पर दिया गया था।

अभी और बढ़ेगा गन्ना बकाया

कृषि, खाद्य एवं उपभोक्ता, पेट्रोलियम और सड़क-परिवहन मंत्री की बैठक में चीनी पर उपकर लगाने के अलावा, किसानों को उत्पाद पर सब्सिडी दिए जाने और एग्जेंसिल में जीएसटी कम किए जाने पर विचार किया था। गौरतलब है कि भौजदा समय में किसानों की बकाया राशि 18,000 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई है। अनुमान है कि बकाया धनराशि सौजन के अंत तक बढ़कर 20 हजार करोड़ रुपये हो जाएगी।